

रामकृष्ण

बनाम

लक्ष्मीनारायण

संख्या

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
25/8/22	<p>पत्रावली आज पैसा द्वै पत्रावली परतस्सालदा                      वस्ती से विभाजन प्रस्ताव पैसा ही चुका है                      वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी अउअपस्थित                      वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र                      वाक्या विभाजन का है जिसमें अन्तोगत्वा                      विभाजन होना है अतः न्यायहित में वाद                      पत्र को भूताविक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम                      डिक्री किया जाता है अन्तिम डिक्री पचासारी है                      महसूलदा वस्ती को अधिका दिए जाते हैं कि                      वादवास्तु आराजी खसरा नं० 44 रकबा 2 बीघा                      1 बिस्वा खसरा नं० 66 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल                      किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा स्थित काम                      सेवापुरा एवं खसरा नं० 93 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा                      काम सेवापुरा महसूल वस्ती जिला जयपुर में से                      खसरा नं० 93/1 रकबा 0-3098 खसरा नं० 44/2 रकबा                      0-0960 खसरा नं० 44/4 रकबा 0-1512 खसरा नं०                      66/2 रकबा 0-2402 कुल किता 4 कुल रकबा  <del>0-2402</del> 0-7972 हैक्टोर रामकृष्ण पुत्र नैलमा                      जालि गुर्जर सां देह के खातेवारी में रहीं वस्ती प्रकार                      खसरा नं० 93/2 रकबा 0-3098 खसरा नं० 44/1 रकबा                      0-1512 खसरा नं० 44/5 रकबा 0-0960 खसरा नं०                      66/1 रकबा 0-0400 खसरा नं० 66/3 रकबा 0-2003                      कुल किता 5 कुल रकबा 0-7973 हैक्टोर लक्ष्मीनारायण                      पुत्र नैलमा जालि गुर्जर सां देह की खातेवारी में रहीं</p>	

उप खण्ड अधिकारी  
 वस्ती (जिला जयपुर)

गटसीलवाट कस्बा  
कोटहरियाटी

30  
605  
30/8/22

गटसीलवाट नं० ५५/३ रकबा ०-०२५०  
हरीशर का भूमि शमकेशन, लक्ष्मीनारायण  
पि० नैरुया भागि ठुर्जर की खातेदारी मे रहेगी  
उत्ताडुसाट राजस्व रिपोर्ट मे अमल करामत  
होने हेतु न्यायालय हाज के निर्णय एवं विभाजन  
प्रस्ताव की वाद अडुमीदित मूल प्रतिगटसीलवाट  
वस्ती को गहरि के साथ जारी हो पावला  
के लल शुभाट लेकट दर्ज नम्बर से कम होने  
पर वाखिल वजता हो

निर्णय आज दिनांक 25/8/22 को सुले  
न्यायालय एवं श्री इजलास सुजाया गमा

उप खण्ड अधिकारी  
बस्ती (जिला जयपुर)